रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1687] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 11, 2018/वैशाख 21, 1940
No. 1687] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 11, 2018/VAISAKHA 21, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2018

का.आ.1874(अ).—प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3328(अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, की प्रतियां जनता को 13 अक्तूबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान एक संरक्षित क्षेत्र है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी और मध्य अंडमान जिले में क्षेत्र 35.54 वर्ग किलोमीटर है और कई स्थानिक पौधों और पशुओं के लिए सबसे समृद्ध और विविध वनों, समुद्री, तटीय और मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणालियों के एक अद्वितीय संयोजन का प्रतिनिधित्व करता है और उक्त राष्ट्रीय उद्यान उत्तरी अंडमान द्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, यह डिगलीपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर (सड़क मार्ग से) और पोर्ट ब्लेयर से करीब 325 किलोमीटर दूर है; अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 732 मीटर की ऊंचाई वाला सैडल पीक सबसे उच्च शिखर है; वन प्रकारों में (i) अंडमान उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे *डिप्टेरोकार्पस ग्रैंडिफ्लोरस, आर्टोकारपस चैपलाशा, साइडरक्ज़ेलियन लौंगियोपैटेलम,* आदि (ii) दक्षिणी पहाड़ी उच्च उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे *डिपटेरोकारपस कौसटाटस, मेसिया फेरिआ, कैनारियम मनी, होपिया अंडमानिका,* आदि, (iii) अंडमान अर्ध सदाबहार वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे *डिप्टेरोकार्पस एसपीपी, आर्टोकार्पस चैपलाशा, पेटरोकारपस डाल्बेर्गिएड्स,* आदि, (iv) अंडमान नम पर्णपाती वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे *पेटरोकार्पस डाल्बर्गियोइड्स, टर्मिनलिया बिलाटा, टी. मनी, बॉम्पाक्स इग्गिंस, लेगरस्टोमिया हाइपोलीयूका,* आदि, (v) तटीय वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे

मैनिलकरा लिटोरलिस, पोंगामिया पिन्नाटा, कैलोफ्लैम इनोफ्युलम, आदि, (vi) मैंग्रोव वनों और ज्वारीय दलदल वनों की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे *रिज़ोपोरा एसपीपी, ब्रुगुइएरा एसपीपी., एविसेनिया एसपीपी, एक्सलोकारपस एसपीपी*, आदि, (vii) बेंत ब्रेक्स की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे *कैलामस*, और (viii) आर्द्र बांस ब्रेक्स की प्रतिनिधित्व प्रजातियां जैसे *ओक्सीन्थेरिया निगरोसिलाटा*, आदि,;

और, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान स्थानिक पौधों की प्रजातियां अर्थात् *एल्स्टोनिया कुर्ज़ी, पॉलयालथिया पार्किन्सोनी, पेटरोकार्पस डलबर्गियोडेस, डिनोचलोआ अंडमानिका, डेरिस अंडमानिका* और *अमुरा मनी,* आदि, और दुर्लभ संकटापन्न पौधे अर्थात् *बॉमबैक्स इंसिगनिस, अमुरा मनी, प्लेकोस्पर्मम अंडमानिक, ग्नटम एसपीपी, पोडोकारपस एसपीपी* और *मंगिफेरा अंडमानिका* आदि, का वास है;

और, उक्त राष्ट्रीय उद्यान से स्तनधारियों की उन्नीस प्रजातियां अभिलिखित हैं जिसमें अंडमान लेसर शार्ट-नोस्ड फ्रूट बैट (*साइनोपेट्रस ब्रैकोयोटीस ब्रैच्योसोमा*), बेंट विंगेड बैट (*मिनीओपेट्रस ऑस्ट्रेलिस पिसलिलस*), ब्लैकबेर्ड टॉम्ब बैट (*टैपज़ोअस मेलेनोपोगोन मेलेनोपोगोन*), ब्लिथ क्लबफुट बैट (*थ्लोनेक्टेरिस पोचुप्स फुलविदा*), ब्लिथ पाउच बिअरिंग बैट (*टैफोज़स सैकॉलिमुस क्रैसस*) डोब्सन हार्सशू बैट (*राइनोलोफस एफिनिस एंडैमेन्सिस*), डोनसन लॉग-टंगड फ्रूट बैट (*एनोकटिरिस स्पेलिया*), फुल्वुस लिफ नोस्ड बैट (*हिपस्पिडरोस फुलवस फुलवस*), इन्सुलर माउस-एयर बैट (*मायोटिस ड्राईस*), लेसर येलो बैट (*स्कॉकोफिलस कुहली*), चुहा (*रत्तुब्ररसकेन*) अंडमान द्वीप की काली चीड़ (*क्रोकिड़ुरा हियरपीडा*), आदि, है; यद्यपि, वास्तव में समुद्री द्वीपों, सरीसृपों, पक्षियों, उभयचरों, मछलियों और पौधों और समुद्री जैव विविधता के साथ अन्य निचले रुपों के कीड़ों और तितलियों की भौगोलिक अलगाव के कारण बड़े स्तनधारी जीवों का प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, राष्ट्रीय उद्यान में अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व है; सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान से सरीसृपों जीवजन्तु की लगभग 16 प्रजातियां अभिलिखित की गई है जिसमें अंदमान किंग कोबरा (*ओफ़िओफ़ाघुस हन्ना*), अंडमान कोबरा (*नाजा सगिटिफ़ेरा*), साल्टवाटर क्रोकोडायल (*क्रोकोडाइलस पोरोसस*), अंडमान बेंट-टोड गिक्को (*सीरोडैक्टाइलस रूबिडस*), अंडमान ग्रीन गिक्को (*फ़ेल्सुमा अंडमानेंसे*), फ्लैट टेल गिक्को (*कोसिंबोटस प्लैट्यूरस*), अंडमान करैत (*बंगरस अंडमानेंसिस*), वाटर मॉनिटर लिजार्ड (*वाराणस सैल्वेटर*), ग्रीन सागर कछुए (*चेलोनीन मायडास*), हॉक्सबिल सागर कछुए (*एरेटमॉसीलीस कोरियासेआ*), लेदरबैक समुद्री कछुए (*डर्मोसीलीस कोरियासेआ*), ओलिव रिडीले समुद्री कछुए (*लेपिडॉसीलीस ओलिवेसिया*), एंडरसन पिट वाइपर (*ट्राइमेरेसुरस एंडोर्सनी*), कैंटर पिट वाइपर (*ट्राइमेरेसुरस कैंटोर*), अंडमान किल बैक स्नेक (*एक्सनोचोफिस एलिनाहोस्टस*), रेड टेल्ड ट्रिंकेट स्नेक (*एलाफे ऑक्सीसेफाला*) सम्मिलित है; समुद्री तटों और निकटवर्ती वनस्पति में समुद्री साँप भी दिखाई देते हैं; राष्ट्रीय उद्यान कीड़े मकोड़ों और तितलियों की लगभग 227 प्रजातियों का वास है;

और, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान एवियन प्राणियों में बहुत समृद्ध है और राष्ट्रीय उद्यानों में 89 पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं जिनमें इंडियन पॉण्ड हिरोन या पैडी बर्ड (*एडीओला ग्रेयी*), लार्ड इगरेट या ग्रेट व्हाइट हिरोन (*अर्दे अल्बा*), लिटिल इगरेट (*एग्रीटा गार्जेटा*), ईस्टर्न रीफ हेरोन (*एग्रेटा सेरा*), लेसर व्हीस्टलिंग टील या ट्री डक (*डेंड्रॉसीन जावानीका*), कॉमन टील (*अनास क्रेक्का*), ग्रे अंडमान या ओसियानिक टिल (*अनास गिबारीफ्रॉन्स*), अंदमान ब्लैक क्रेस्टेड बाजा (*अविकेडो लीफोट्स*), व्हाइट बेलाईड सागर ईगल (*हेलिएटस ल्यूकोगैस्टर*), अंडमान डार्क सरपेंट ईगल (*स्पिलोर्निस एल्गिनि*), अंडमान बैंडिड क्रेक (*रलिना कैनिंगी*), अंडमान व्हाइट ब्रेस्टेड वॉन्थेन (*अमाउरर्निस फोनीकुरस*), कोरा या वॉटर कॉक (*गैलरिककैक्स सीनेरिया*), ब्लैक बेलेटेड या ग्रे प्लावर (*प्लाविएलिस स्क्वेटोरोला*), लार्ड सैंड प्लावर (*क्रिसैरियस लेस्चेंटाइया*), ईस्टर्न रेत प्लावर (*केराड्रिअस एशियाटिकस*), केंटिश प्लोवर (*केराट्रीस एलेक्ज़ेंड्रेंस*) , पामरस लेसर सैंड प्लावर (*चाराड्रिअस मॉंगोलस*), व्हिम्ब्रेल (*न्यूमेनिउस फ़्यूओपस*), कर्लीव (*न्यूमेनस आर्क्टा*), आदि शामिल हैं ;

और, राष्ट्रीय उद्यान की महत्वपूर्ण संकटापन्न/दुर्लभ पौधे प्रजातियां दीडु (*बम्बैक्स इग्नेस*), तादेहागी त्रिगुटरम, अमरुला मणि, प्लेक्स्पर्मम अंडमानिक, ओल्क्स इम्ब्रिकेट, पिटोस्पर्मम फेर्रिग्नम, आदि है;

और, समुद्र तट, नदी के तल, खाडी, कीचड़ समतल भूमि और साथ ही रेतीले समुद्र तट संकटापन्न प्रजातियों के लिए लवण वाटर मगरमच्छ, कछुआ और वाटर मानीटर छिपकली के लिए एक उत्कृष्ट आवास के रूप में सेवा प्रदान करते हैं और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के जंगल आसपास रहने वाले लोगों के क्षेत्र में कुछ हद तक मानवजनित दबाव का अनुभव होता है;

और, इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण अनिवार्य है तथा इसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितिकी और पर्यावरण की दृष्टि से सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिकी जोन में उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर 16.84 वर्ग किलोमीटर, पूर्वी भाग की ओर 0 किलोमीटर से 0.6 किलोमीटर, एक किलोमीटर दक्षिण से पश्चिम की ओर, और 0.2 किलोमीटर से 1 किलोमीटर से उत्तरी दिशा में सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के संघ राज्य क्षेत्र अंडमान निकोबर द्वीप में सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के आसपास शून्य से 1.0 किलोमीटर तक है; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत का क्षेत्र 16.84 वर्ग किलोमीटर के साथ दक्षिण, पश्चिम और उत्तरी दिशाओं की ओर एक किलोमीटर में फैला है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से पूर्वी भाग की ओर 0 से 0.6 किलोमीटर तक विस्तृत है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमाएं अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य और उत्तरी अंडमान जिला के उत्तरी अक्षांश ***13º06'56.848"*** उत्तर से ***13º 12'32.714"*** उत्तर और पूर्वी देशांतर ***92°59' 57.689"*** पूर्व से ***93º 02' 25.282"*** पूर्व के बीच स्थित है; सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की पूर्वी सीमा उच्च-ज्वार लाइन (एचटीएल) के साथ होती है और वहां कोई भूमि उपलब्ध नहीं है, समुद्र क्षेत्र पहले से ही तटीय विनियमन क्षेत्र / द्वीप संरक्षण क्षेत्र अधिसूचना के अधीन सुरक्षित है और इसलिए 'शून्य' किलोमीटर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पूर्वी हिस्से में संरक्षित क्षेत्र की सीमा का प्रस्ताव है।

(2) इस अधिसूचना के सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध- IIक** और **उपाबंध- IIख** और **उपाबंध- IIग** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के भू-निर्देशांक **उपाबंध- III** के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत सभी क्षेत्रों की प्रस्थिति आरक्षित वन है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) संघ राज्य क्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्य क्षेत्र विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी बातों को उक्त योजना में समाकलित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिक;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग;

(xii) मत्स्य पालन;

(xiii) अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण और अन्य अनुसंधान संस्थान;

(xiv) आदिवासी विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे पार्को और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोद्यानों, झीलों और अन्य जलाशयों का अभ्यकंन करेगी। आंचलिक महायोजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए पैरा 4 की सारणी में सूची बद्ध विनियमित करेगी और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध, विनियम और संवर्धित क्रियाकलापों का अनुसरण करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-कालिक होगा।

(9) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिकी अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(10) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज इस प्रकार अनुमोदित करेगी।

3. संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- संघ राज्य क्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भूमि-उपयोग -** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/ राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग,

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें गृह वास सम्मिलित है;और

(v) संवर्धित क्रियाकलापों पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों का अनुपालन किए बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न किसी त्रुटि की, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी ।

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा । ऐसे हरित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में परिणामिक कमी नहीं होगी।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण के तथा पर्यावास और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोते** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभागों द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इसमें जो भी नजदीक हो होटल और रिसोर्ट के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगे: परंतु सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटल और रिसोर्टो की स्थापना को पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन कार्यकलापो के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गनिदेशों के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी शिक्षा और पारिस्थितिकी विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माहों के भीतर संपरिवर्तन होगा और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन बनाए गए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधो और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्रावों का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अनुसार किया जाएगा जब कभी और कठोर हो।

(9) **ठोस अपशिष्ट –** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा-

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ; अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

ख. पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रंबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(13) **इलैक्ट्रानिकी–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में इलैक्ट्रानिकी–अपशिष्ट नियम, 2016, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित प्रकाशित किए गए थे, के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होन तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन निगरानी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन जैसे कि सीएनजी आदि के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक इकाईयां -** (i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ii) फरवरी 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को पर्यावरण संवेदी जोन में अनुज्ञा दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो। इसके अलावा, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईटें बनाना शामिल है, को छोडकर सभी नई और वर्तमान (लघु और वृहद खनिज) पत्थर खोदने

		एवं तोडने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है ; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में तारीख 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका(सी) सं. 435 में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि)।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी। (ख) जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	नई बृहत जल विद्युत परियोजना और सिंचाई परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिल स्थापित करना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नदी जलीय संस्कृति।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक तरीके से यंत्रीकृत नाव से मत्स्य पालन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन।	पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकटतम हो, कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के पश्चात या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकटतम हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना और मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

		(ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी जैसे कि :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योग, जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधा भण्डार और पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं जिनमें अंतर्गत गृह वास भी हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध प्रोत्साहन दिए गए क्रियाकलाप। (ग) और कि लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे। (घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
12.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागबानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
15.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने एवं अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
16.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।

17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमों तथा विद्यमान दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जायेगा।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाने जैसे क्रियाकलाप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
19.	पर्वतीय ढ़लानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
20.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
21.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
22.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिस्राव के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिस्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
24.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और संबद्ध प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की सख्त निगरानी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
28.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	पारम्परिक मत्स्य-पालन।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह समुद्री मत्स्य पालन विनियम, 2003 के अनुसार विनियमित होंगे।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

33.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	बागवानी और वनस्पति के बागान।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
41.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
42.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

1.	उपायुक्त, उत्तरी और मध्य अंडमान	अध्यक्ष;
2.	प्रभागीय वन अधिकारी, दिगलीपुर	सदस्य;
3.	संयुक्त निदेशक, कृषि, उत्तरी और मध्य अंडमान	सदस्य;
4.	निदेशक, पर्यटन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
5.	निदेशक, मत्स्य पालन या उसके प्रतिनिधि	सदस्य;
6.	वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, दिगलीपुर	सदस्य;
7.	संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता बोर्ड के सदस्य	सदस्य;
8.	संघ राज्य क्षेत्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामित जैव विविधता में विशेषज्ञ	सदस्य;
10.	प्रभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव) मेबंडर	सदस्य सचिव।

6. निर्देश निबंधन.-

(1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष या संघ राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुन: गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्वी पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा. सं. 25/09/2017–ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरी – सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तरी अक्षांश 13°12'10.391" और पूर्वी देशांतर 92°59'28.284" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **ई** से आरंभ होकर और सीमा लगभग 1.176 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पूर्वी दिशा की ओर जाकर और उत्तरी अक्षांश 13°12'32.371" और पूर्वी देशांतर 92°59'57.689" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **डी** तक पहुँचती है और इसके बाद यह लगभग 3.210 किलोमीटर की दूरी पर उसी अक्षांश में पूर्वी दिशा की ओर मुड़कर और उत्तरी अक्षांश 13°12'32.714" और पूर्वी देशांतर 93°01'44.337" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **सी** तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा लगभग 0.768 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण की ओर मुड़कर और उत्तरी अक्षांश 13°12'7.701" और पूर्वी देशांतर 93° 01'44.165" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **बी** तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा 1.239 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°12'5.988" और पूर्वी देशांतर 93° 02'25.282" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **ए** की ओर जाकर और समुद्र पर समाप्त होती है।

पूर्वी – इसके बाद सीमा उत्तरी अक्षांश 13°12'5.988" और पूर्वी देशांतर 93° 02'25.282" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **ए** से आरंभ होकर और पूर्वी तट के उच्च जवार स्तर के साथ जाती है और 2.397 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°10'52.9" और पूर्वी देशांतर 93°01'57.4" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **जे** तक पहुँचती है और इसके बाद सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा से शून्य दूरी के समांतर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा की ओर जाकर 6.795 की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°07'29.468" और पूर्वी देशांतर 93°01'50.977" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **आई** से मिलती है इसके बाद सीमा तट की ओर जाकर और 1 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशांतर के ग्रिड निर्देश के बिंदु **एच** की ओर जाती है।

दक्षिण – इसके बाद इसकी सीमा उत्तरी अक्षांश 13°06'56.848" और पूर्वी देशांतर 93°01'52.69" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **एच** से आरंभ होकर और पश्चिम की ओर जाकर और 3.486 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी अक्षांश 13°07'7.799" और पूर्वी देशांतर 92°59'57.439" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **जी** तक पहुँचती है। इसके बाद सीमा 1.304 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पश्चिम दिशा की ओर जाकर और उत्तरी अक्षांश 13°07'34.114" और पूर्वी देशांतर 92°59'27.834" के ग्रिड निर्देश बिंदु **एफ** पहुँचती है।

पश्चिम – इसके बाद सीमा उत्तरी अक्षांश 13°07'34.114" और पूर्वी देशांतर 92°59'27.834" के ग्रिड निर्देश के बिंदु **एफ** से आरंभ होकर और 8.486 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी दिशा की ओर जाकर और उत्तरी अक्षांश **13°12'10.391"** और पूर्वी देशांतर **92°59'28.284**" के ग्रिड निर्देश बिंदु **ई** तक पहुँचती है।

उपाबंध-II-क

सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान का स्थान मानचित्र

उपाबंध-II-ख

मुख्य अवस्थानों के साथ सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

उपाबंध-II-ग

मुख्य अवस्थानों के अक्षांशन और देशांतर के साथ सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

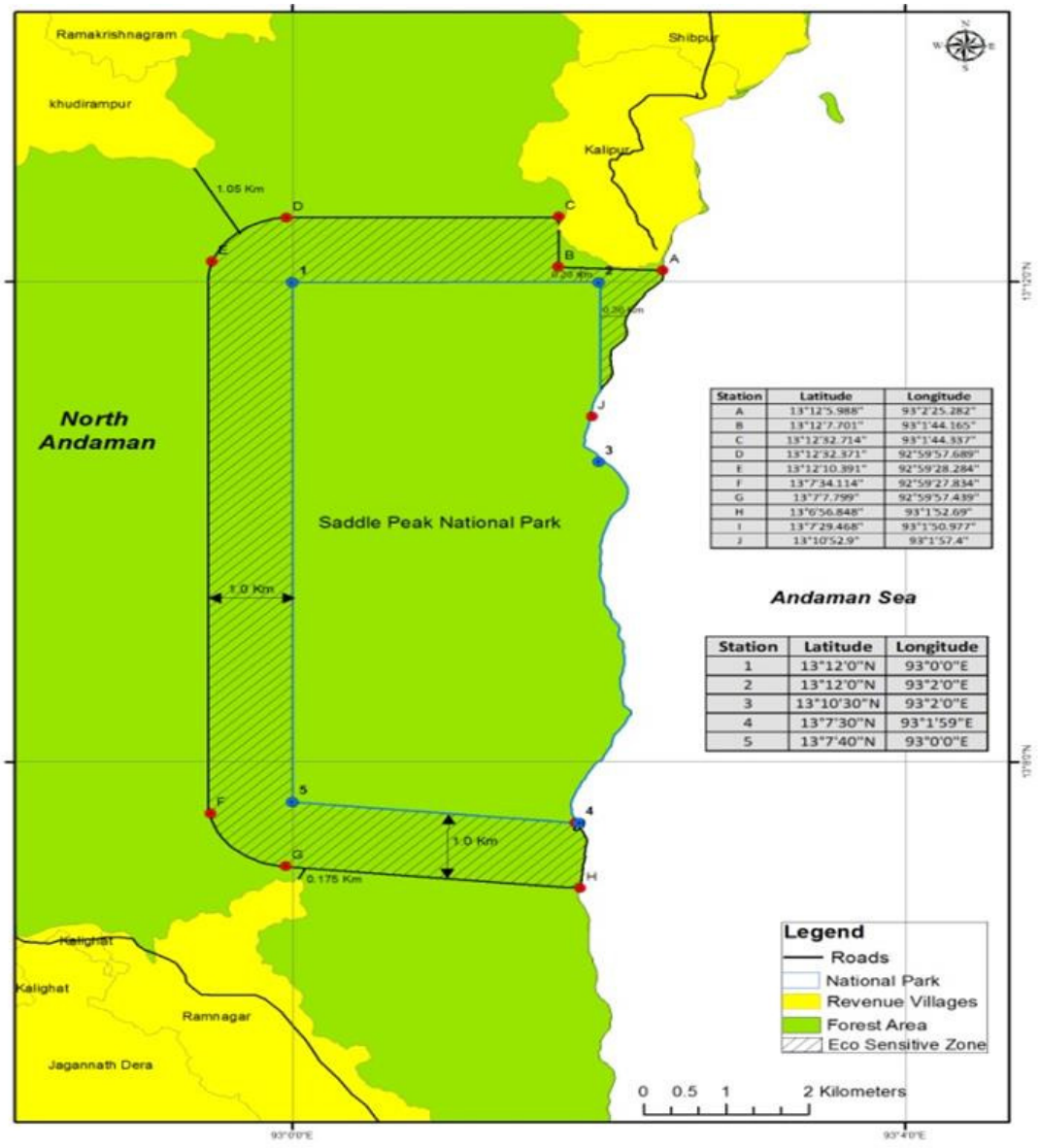

Station	Latitude	Longitude
A	13°12'5.988"	93°2'25.282"
B	13°12'7.701"	93°1'44.165"
C	13°12'32.714"	93°1'44.337"
D	13°12'32.371"	92°59'57.689"
E	13°12'10.391"	92°59'28.284"
F	13°7'34.114"	92°59'27.834"
G	13°7'7.799"	92°59'57.439"
H	13°6'56.848"	93°1'52.69"
I	13°7'29.468"	93°1'50.977"
J	13°10'52.9"	93°1'57.4"

Station	Latitude	Longitude
1	13°12'0"N	93°0'0"E
2	13°12'0"N	93°2'0"E
3	13°10'30"N	93°2'0"E
4	13°7'30"N	93°1'59"E
5	13°7'40"N	93°0'0"E

उपाबंध -III

सारणी क : सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
1	13°12'0"	93°0'0"
2	13°12'0"	93°2'0"
3	13°10'30"	93°2'0"
4	13°7'30"	93°1'59"
5	13°7'40"	93°0'0"

सारणी ख : सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

अवस्थान	अक्षांश	देशांतर
ए	13°12'5.988"	93° 02'25.282"
बी	13°12'7.701"	93° 01'44.165"
सी	13°12'32.714"	93°01'44.337"
डी	13°12'32.371"	92°59'57.689"
ई	13°12'10.391"	92°59'28.284"
एफ	13°07'34.114"	92°59'27.834"
जी	13°07'7.799"	92°59'57.439"
एच	13°06'56.848"	93°01'52.69"
आई	13°07'29.468"	93°01'50.977"
जे	13°10'52.9"	93°01'57.4"

उपाबंध- IV

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र - पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबद्ध के रूप में संलग्न करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) की स्पष्ट त्रुटि में सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संवीक्षा के मामलों का सार । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सार । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।

7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2018

S.O.1874(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3328 (E), dated the 13th October, 2017, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 13th October 2017;

AND WHEREAS, No objections or suggestions were received from the persons and stakeholders in response to the draft notification;

WHEREAS, the Saddle Peak National Park is a Protected Area having an area of **35.54 square kilometers** falling in North and Middle Andaman District in the Union territory of Andaman and Nicobar Islands and represents a unique combination of richest and varied forests, marine, coastal and mangrove ecosystems harboring many endemic plants and animals and the said National Park is located in the Eastern part of North Andaman Island at a distance of about 30 kilometers (by road) from Diglipur town and about 325 kilometers from Port Blair; Saddle Peak having an altitude of 732 metres above sea level is the highest peak in the Andaman and Nicobar Islands; forest types include (i) Andaman Tropical Evergreen Forests represented by species like *Dipterocarpus grandiflorus*, *Artocarpus chaplasha*, *Siderxylion longeopatalum*, etc.;(ii)Southern Hill top Tropical Evergreen Forests represented by species like *Dipterocarpus costatus*, *Mesua ferrea*, *Canarium manii*, *Hopea andamanica,* etc; (iii)Andaman Semi Evergreen Forests represented by species like *Dipterocapus spp*, *Artocarpus chaplasha, Pterocarpus dalbergioides,* etc.; (iv) Andaman Moist Deciduous forests represented by species like *Pterocarpus dalbergioides,Terminalia bilata, T.manii, Bombax insignis, Lagerstoemia hypoleuca,* etc.; (v) Littoral Forests represented by species like *Manilkara littoralis, Pongamia pinnata, Calophyllum inophyllum,* etc.; (vi) Mangrove Forests or tidal Swamp forests represented by species like *Rhizopora spp, Bruguiera spp., Avicenia spp, Xylocarpus spp,* etc.; (vii) Cane Brakes represented by species like *Calamus* and (viii) Wet Bamboo Brakes represented by species like *Oxytentherea nigrociliata* ,etc;

AND WHEREAS, the Saddle Peak National Park is home of endemic plant species namely *Alstonia kurzii, Polyalthia parkinsonii, Pterocarpus dalbergioides, Dinochloa andamanica*, *Derris andamanica* and *Amoora manii,etc.,* and rare threatened plants *namely Bombax insignis, Amoora manii, Plecospermum andamanicum, Gnetum spp, Podocarpus spp and Mangifera andamanica,* etc;

AND WHEREAS, nineteen species of mammals were reported from the said National Park which includes Andaman Lesser Short-nosed Fruit Bat (*Cynopterus brachyotis brachysoma*), Bent winged Bat (*Miniopterus australlis pusillus*), Blackbeard Tomb Bat (*Taphozous melanopogon melanopogon*), Blyth's Clubfooted Bat(*Thlonycteris pochupus fulvida*), Blyth's pouch bearing Bat (*Taphozous saccolaimus crassus*), Dobson's horseshoe Bat (*Rhinolophus affinis andamensis*), Donson's long-tongued fruit Bat (*Eonycteris spelaea*), Fulvus leaf-nosed Bat (*Hipposideros fulvus fulvus*), Insular mouse-eared Bat (*Myotis dryas*), Lesser yellow Bat (*Scotophilus kuhli*), Rat (*Rattusburrescns)* Andaman island spiny shrew *(Crocidura hispida),* etc.; though the large mammalian fauna is not well represented due to geographic isolation of the truly oceanic islands, reptiles, birds, amphibians, fishes and other lower forms insects and butterflies along with plant and marine biodiversity are well represented in the National Park; about 16 species of reptilian fauna recorded from the Saddle Peak National Park includes Andaman king cobra (*Ophiophaghus Hannah*), Andaman cobra (*Naja sagittifera*), Saltwater crocodile (*Crocodylus porosus*), Andaman bent-toed gecko (*Cyrodactylus rubidus*), Andaman green gecko (*Phelsuma andamanense*), Flat tailed gecko (*Cosymbotus platyurus*), Andaman krait (*Bungarus andamanensis*), Water monitor lizard (*Varanus salvator*), Green sea turtle (*Chelonian mydas*), Hawksbill sea turtle (*Eretmochelys coriacea*), Leatherback sea turtle (*Dermochelys coriacea*), Olive ridley sea turtle (*Lepidochelys olivacea),* Anderson's pit viper (*Trimeresurus andersoni),* Cantor's pit viper (*Trimeresurus cantor),* Andaman keel back snake (*Xenochrophis elanzostus),* Red tailed trinket snake (*Elaphe oxycephala),* etc; Sea Snakes are also seen in the beaches and in the adjoining vegetation; the National Park is housing about 227 species of insects and butterflies;

AND WHEREAS, Saddle Peak National Park is very rich in avian fauna and 89 species of birds have been recorded from the National Park which includes Indian pond heron or paddy bird (*Ardeola grayii*), Larger egret or great white heron (*Ardea alba*), Little egret (*Egreeta garzetta*), Eastern reef heron(*Egretta sacra*), Lesser whistling teal or tree

duck (*Dendrocygna javanica*), Common teal (*Anas crecca*), Grey Andaman or oceanic teal (*Anas gibberifrons*), Andaman black crested Baza (*Aviceda leuphotes*), White bellied sea eagle(*Haliaetus leucogaster*), Andaman Dark serpent Eagle(*Spilornis elgini*), Andaman banded crake(*Rallina canningi*), Andaman White breasted Waterhen (*Amaurornis phoenicurus*), Kora or Water cock(*Gallicrex cinerea*), Black bellied or Grey plover(*Pluvialis squatarola*), Large sand plover(*Chradrius leschenaultia*), Eastern sand plover(*Charadrius asiaticus*), Kentish plover(*Charadrius alexandrines)*, Pamirs lesser sand plover(*Charadrius mongolus*), Whimbrel (*Numenius phaeopus*), Curlew (*Numenius arquata),* etc;

AND WHEREAS, the important threatened/rare plant species of the National park are Didu (*Bombax insigne*), *Tadehagi triquetrum*, *Amoora manii, Plecospermum andamanicum*, *Olax imbricate*, *Pittospermum ferrugineum,* etc;

AND WHEREAS, the sea shore, river beds, creeks, mud flats as well as sandy beaches serve as an excellent habitat for the endangered species like salt water crocodile, turtles and Water monitor lizard and the forest area around the Saddle Peak National Park experiences anthropogenic pressures to certain extent from the people living in the vicinity of the forests;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the Saddle Peak National Park as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view to maintain the biological diversity at ecosystem, habitat, species, population and genetic levels and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-Sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the sub section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 16.84 square kilometers as Eco-sensitive Zone around the Saddle Peak National Park, to an extent varying from 0 km to 0.6 kilometer towards East, one kilometer towards South and West, and 0.2 Kilometer to 1 Kilometer towards North directions from the boundary of the Saddle Peak National Park in the Union territory of Andaman and Nicobar Islands as the Saddle Peak National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

(1) **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The extent of Eco-sensitive Zone varies from **zero to 1.0 kilometre** around the Saddle Peak National Park, the area of Eco-sensitive Zone is **16.84 square kilometres** with an extent of one kilometer towards South, West and North directions and from 0 to 0.6 kilometer towards East side from the boundary of the Saddle Peak National Park, the boundaries of Eco-sensitive Zone of Saddle Peak National Park are located in the District of Middle and North Andaman of Andaman and Nicobar Islands situated between North Latitude 13°06'56.848"N to 13°12'32.714" N and East Longitude 92° 59' 57.689" E to 93° 02' 25.282" E, the Eastern boundary of the Saddle Peak National Park is coinciding with the high-tide line (HTL) and there is no land mass available, the sea area is already protected under Coastal Regulation Zone/Island Protection Zone Notification and hence 'zero' kilometer Eco-sensitive Zone extent is proposed in the eastern side of the Protected Area.

(2) The detailed boundary description of the Eco-sensitive Zone of Saddle Peak National Park is appended to this notification as **Annexure- I.**

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II A, Annexure –II B and Annexure-II C.**

(4) The geo-coordinates of Saddle Peak National Park and its Eco-sensitive Zone are given in Table **A and Table B** of **Annexure-III.**

(5) The status of all the area falling inside the Eco-sensitive Zone is Reserved Forests.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The Union Territory Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of the Union Territory.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union Territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union Territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Union Territory Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj;

(xi) Public Works Department;

(xii) Fisheries;

(xiii) *Andaman Lakshadweep Harbour Works* and other Research Institutions;

(xiv) Tribal department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps and the said Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government - The Union Territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use. – (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant laws of the Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:-

i. widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

ii. construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

iii. small scale industries not causing pollution;

iv. Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

v. promoted activities and given under para 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area such as forest area and agricultural area**.**

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural water bodies.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union Territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism:-** (a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union Territory Department of Tourism in consultation with Union Territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Saddle Peak National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the National Park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism; eco-education and eco-development and based on the carrying capacity study of the eco-sensitive zone;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation within six months from the date of publication of this notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation within six months from the date of publication of this notification in the official Gazatte and such plan shall from part of the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution. -** Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986, as amended from time to time.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder, as amended from time to time.

(8) **Discharge of effluents. -** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

a. the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; as amended form time to time the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

b. Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste. – (a) Bio medical waste management shall be as under: the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.

(b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management. - The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste. - The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic. – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the Union Territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution. - Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial units. –(i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless so otherwise specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes. - The protection of hill slopes shall be as under:

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted:-

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Remarks
		A. Prohibited Activities
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) all new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units prohibited with immediate effect except for shall be meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption . (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within the Eco-sensitive Zone as per classification of industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	River aquaculture.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Fishing by mechanized boat in large scale commercial manner.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
		B. Regulated Activities
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

		(b) Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (c) Further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (d) beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
18.	Undertaking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities	Permitted under applicable laws for use of locals.

	along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companie, etc.	Regulated under applicable laws
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
31.	Traditional fishing.	Regulated in accordance with the Andaman and Nicobar Islands Marine Fishing Regulations, 2003.
	C. Promoted Activities	
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Plantation of horticulture and herbals	Shall be actively promoted.
39.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
40.	skill development.	Shall be actively promoted.
41.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
42.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee:

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

1.	Deputy Commissioner, North and Middle Andaman	Chairman;
2.	Divisional Forest Officer, Diglipur	Member;
3.	Joint Director, Agriculture, North and Middle Andaman	Member;

4.	Director, Tourism or his representative	Member;
5.	Director, Fisheries or his representative	Member;
6.	Senior Veterinary Officer, Diglipur	Member;
7.	Member of the Union territory Biodiversity Board	Member;
8.	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Union Territory Government	Member;
9.	A expert in Biodiversity nominated by the Union Territory Government	Member;
10.	Divisional Forest Officer (WL) Mayabunder	Member Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring Committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the Union Territory Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the Union Territory Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5)The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union Territory as per proforma given in Annexure IV.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures: The Central Government and Union Territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Order of Supreme Court etc. :The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/09/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SADDLE PEAK NATIONAL PARK

NORTH –Eco-sensitive boundary of Saddle Peak National Park starts from a point **E** at a grid reference of north latitude 13°12'10.391" and east longitude 92°59'28.284"and the boundary proceeds towards north east direction for a distance of about 1.176kilometer and reaches a point **D** at a grid reference north latitude 13°12'32.371" and east longitude 92°59'57.689", then it turns towards east direction at the same latitude for a distance about 3.210 kilometer and reaches a point **C** at a grid reference of north latitude 13°12'32.714" and east longitude 93°01'44.337", then the boundary turns towards south to a distance of about 0.768 kilometer and reaches a point **B** at grid reference of north latitude 13°12'7.701" and east 93° 01'44.165" and then the boundary proceeds to a point A for a distance 1.239 kilometer at a grid reference of north latitude 13°12'5.988" and east longitude of 93° 02'25.282" and ends at sea.

EAST – Thence the boundary starts from a point **A** at grid reference of north latitude 13°12'5.988" and east longitude of 93° 02'25.282" and proceeds along the High tide level of the east coast and reaches a Point **J** at a grid reference of north latitude 13°10'52.9" and east longitude 93°01'57.4" at a distance of 2.397 km and thereafter the boundary of Eco-sensitive Zone of Saddle Peak National Park will follow the boundary of Saddle Peak National Park paralleling at 0 distance and meets at a point **I** at a grid reference of north latitude 13°07'29.468" and east longitude 93°01'50.977"after traversing a distance of 6.795 kilometer Km and thereafter the boundary will follow the coastal boundary and proceeds further to a point **H** at a grid reference of north latitude 13°06'56.848" and east longitude 93°01'52.69" covering a distance of 1.0 kilometer.

SOUTH – Thence the boundary starts from a point H a grid reference of north latitude 13°06'56.848" and east longitude 93°01'52.69" and proceeds towards west and reaches a point **G** at a distance of 3.486 kilometer at a grid reference of north latitude 13°07'7.799" and east longitude 92°59'57.439", then the boundary proceeds towards North West direction for a distance of 1.304 kilometer and reaches a point **F** grid reference of north latitude 13°07'34.114" and east longitude 92°59'27.834".

WEST – Thence the boundary starts from the point F at a grid reference of north latitude 13°07'34.114" and east longitude 92°59'27.834" and proceeds towards north direction to a distance of 8.486 kilometer and reaches a point **E** at a grid reference North latitude **13°12'10.391"** and East longitude **92°59'28.284**".

ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF SADDLE PEAK NATIONAL PARK

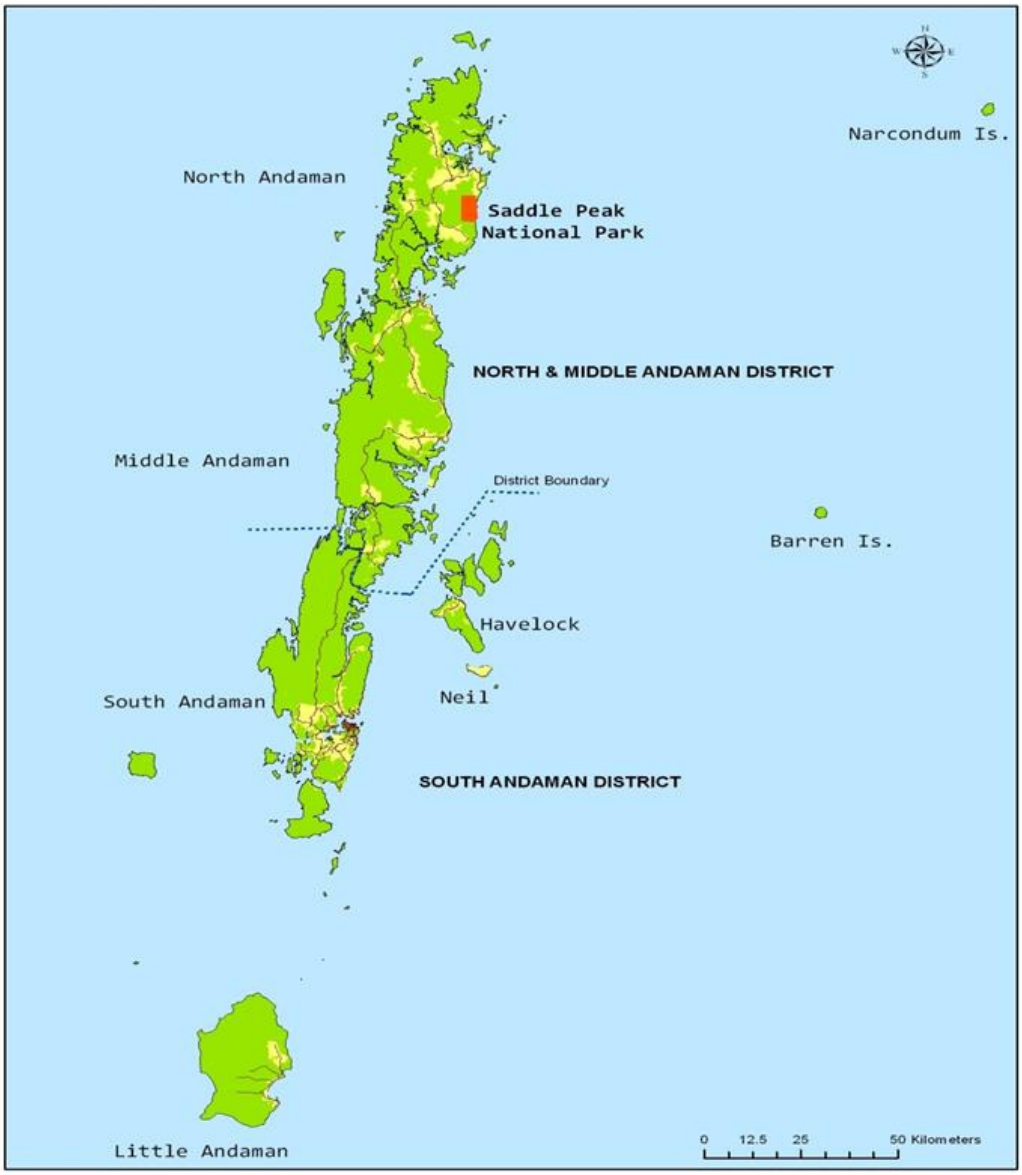

ANNEXURE- IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SADDLE PEAK NATIONAL PARK ALONG WITH PROMINENT LOCATIONS

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SADDLE PEAK NATIONAL PARK ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

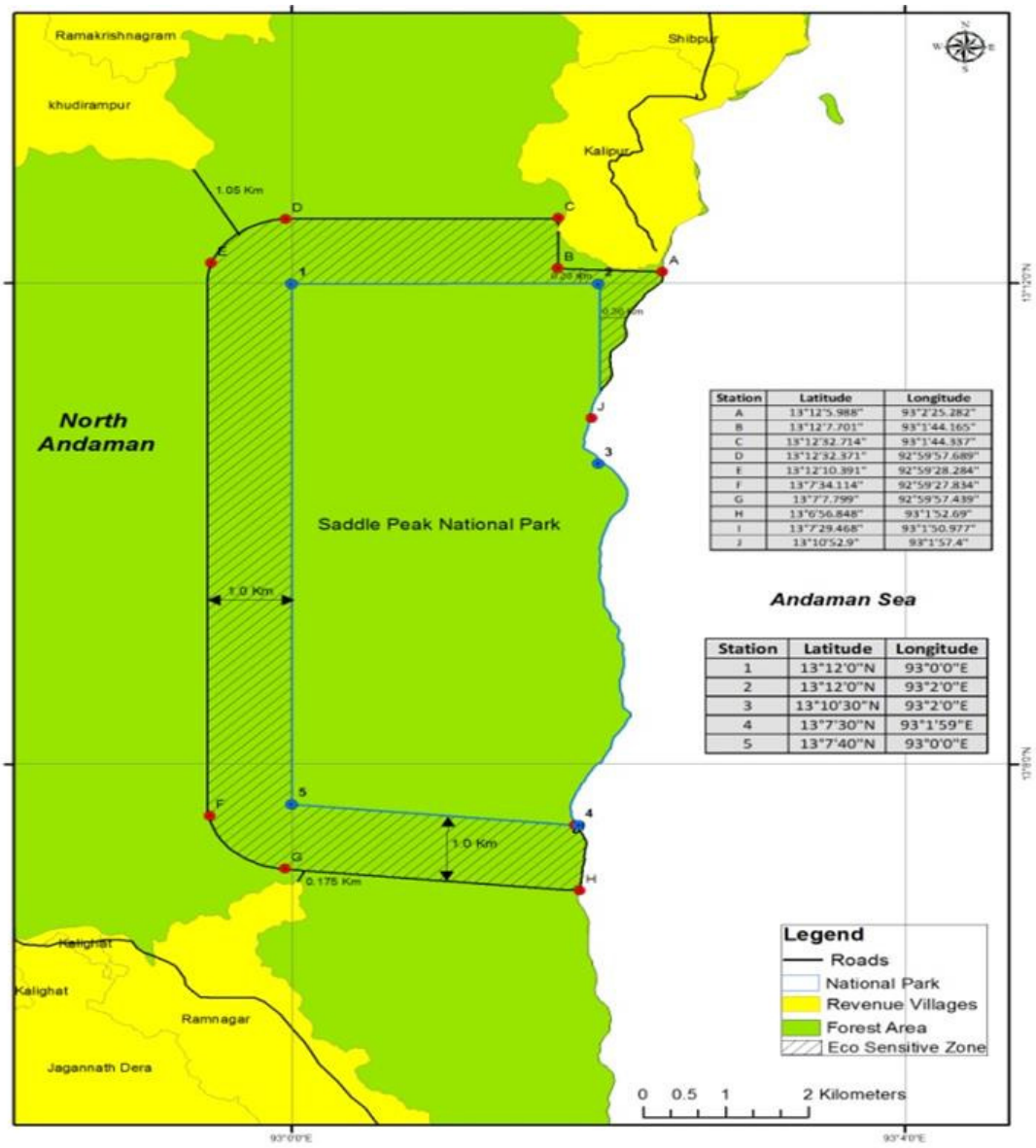

Station	Latitude	Longitude
A	13°12'5.988"	93°2'25.282"
B	13°12'7.701"	93°1'44.165"
C	13°12'32.714"	93°1'44.337"
D	13°12'32.371"	92°59'57.689"
E	13°12'10.391"	92°59'28.284"
F	13°7'34.114"	92°59'27.834"
G	13°7'7.799"	92°59'57.439"
H	13°6'56.848"	93°1'52.69"
I	13°7'29.468"	93°1'50.977"
J	13°10'52.9"	93°1'57.4"

Station	Latitude	Longitude
1	13°12'0"N	93°0'0"E
2	13°12'0"N	93°2'0"E
3	13°10'30"N	93°2'0"E
4	13°7'30"N	93°1'59"E
5	13°7'40"N	93°0'0"E

ANNEXURE-III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Saddle Peak National Park

Location	Latitude	Longitude
1	13°12'0"	93° 0'0"
2	13°12'0"	93° 2'0"
3	13°10'30"	93°2'0"
4	13°7'30"	93°1'59"
5	13°7'40"	93°0'0"

TABLE B: Latitude-Longitude of Prominent Locations of Eco-Sensitive Zone for Saddle Peak National Park

Location	Latitude	Longitude
A	13°12'5.988"	93° 02'25.282"
B	13°12'7.701"	93° 01'44.165"
C	13°12'32.714"	93°01'44.337"
D	13°12'32.371"	92°59'57.689"
E	13°12'10.391"	92°59'28.284"
F	13°07'34.114"	92°59'27.834"
G	13°07'7.799"	92°59'57.439"
H	13°06'56.848"	93°01'52.69"
I	13°07'29.468"	93°01'50.977"
J	13°10'52.9"	93°01'57.4"

Annexure –IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.05.15 09:26:18 +05'30'